

lkfr]

ftyk/; {k

ftyk Xokfy; j

विषय:— मूल निवासी हेतु विनय पत्र

निवेदन है कि मुझे
लिए म.प्र मूल निवासी होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना है । अतः निवेदन है कि उक्त प्रमाण-पत्र मुझे प्रदान किया जावे ।

मुझे प्रमाण पत्र जारी किए जाने सम्बन्धी जानकारी निम्न प्रकार है ।

1. जन्म स्थान
2. पालक या अभिभावक का नाम एवं पता दें ।
गत 15 वर्षों से म.प्र में रह रहें है या नहीं ?
पूर्ण विवरण दें ।
3. क्या पालकों में से कोई राज्य शासन सेवारत
/ सेवा निवृत्त कर्मचारी हैं विवरण दें ।
(अ) केन्द्रीय शासन कर्मचारी हैं । जो म.प्र में
सेवारत हो विवरण दें ।
(ब) वह स्वयं अथवा उसके पालक राज्य में
पिछले पाँच सालों में कोई अचल सम्पत्ति
उद्योग , अथवा व्यवसाय रखते हों तों
प्रमाण पत्र संलग्न करें(पूर्ण विवरण दें ।)
(स) क्या आपने अपनी शिक्षा म.प्र में किसी
भी शिक्षण संस्था में कम से कम तीन
वर्ष शिक्षा प्राप्त की है । शैक्षणिक
प्रमाण-पत्रों की प्रमाणिक प्रतिलिपि
संलग्न करें ।

आवेदक का नाम

दिनांक.....

पिता का नाम एवं पता

नोट:— केवल उपरोक्त शर्तों के अन्तर्गत यदि आपका विनय-पत्र आता है । तभी मूल निवासी प्रमाण पत्र देने की प्राप्ति होगी । (पूर्ण जानकारी प्रस्तुत करने पर ही तत्काल प्रमाण-पत्र जारी किया जावेगा ।) अपूर्ण एवं त्रुटि पूर्ण जानकारी की दशा में मूल निवासी प्रमाण पत्र देने में असमर्थता होगी ।

emy fuokl h i æk.k&lk=

dk; kly; ftyk/; {k -----¼ e-lk ½

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी /
आत्मज / पत्नी / आत्मजा / श्री
ग्राम तहसील जिला

मध्यप्रदेश का निवासी है।

क्यों कि वह –

1. मध्यप्रदेश में पैदा हुआ/हुई है अथवा
2. इसके पालक द्वय अभिभावक मध्यप्रदेश में कम से कम 15 वर्षों से रह रहे हैं अथवा केन्द्रीय शासन कर्मचारी जो मध्यप्रदेश में सेवारत हैं , अथवा
3. उसके पालकों में से कोई राज्य शासन में सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं अथवा केन्द्रीय शासन का कर्मचारी जो मध्यप्रदेश में सेवारत हैं, अथवा
4. वह स्वयं उसके पालक राज्य में पिछले पाँच वर्षों से अचल सम्पत्ति उद्योग अथवा व्यावसाय करते हैं।

इसके अतिरिक्त –

1. उसने अपनी शिक्षा म.प्र में स्थित किसी शिक्षण संस्था में कम से कम तीन वर्ष तक प्राप्त की है , अथवा
2. उसने अपनी शिक्षा म.प्र में स्थित किसी शिक्षण संस्था में निम्नलिखित परीक्षाओं में कम से कम एक परीक्षा पास पास की।
(क) उच्चतर माध्यमिक परीक्षा
(ख) आठवीं कक्षा परीक्षा
(ग) पाँचवीं कक्षा परीक्षा

टीप:- जो अंश लागू न हों , काट दिया जावे

अधिकृत अधिकारी
पद नाम एवं सील